पत्र सूचना शाखा
(मुख्यमंत्री सूचना परिसर)
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ0प्र0

मंत्रिपरिषद के महत्वपूर्ण निर्णय

लखनऊ : 10 अक्टूबर, 2018

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में आज यहां लोक भवन में सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए :–

माँ ललिता देवी शक्तिपीठ अमावस्या मेला, नैमिषारण्य, सीतापुर के प्रान्तीयकरण का निर्णय

- जिलाधिकारी, सीतापुर द्वारा पत्र दिनांक 27.12.2017 एवं 03.02.2018 के माध्यम से मॉ ललिता देवी शक्तिपीठ अमावस्या मेला, नैमिषारण्य, जिला सीतापुर का प्रान्तीयकरण किये जाने हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।
- मॉ ललिता देवी शक्तिपीठ अमावस्या मेला, नैमिषारण्य, जिला सीतापुर का आयोजन वर्तमान समय में नगर पालिका परिषद, मिश्रिख–नैमिषारण्य द्वारा कियां जाता है।
- मेले के अन्तर्जनपदीय, अन्तर्राज्यीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप के दृष्टिगत इसकी समुचित व्यवस्था एवं सफल आयोजन हेतु इसके प्रान्तीयकृत किये जाने की मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषणा की गयी है।
- उक्त मेले का प्रान्तीयकरण हो जाने के बाद इसका प्रबंधन जिलाधिकारी सीतापुर द्वारा किया जायेगा और आने वाला व्ययभार लगभग रू0–60.00 लाख शासन द्वारा वहन किया जायेगा।
- मॉ ललिता देवी शक्तिपीठ अमावस्या मेला, नैमिषारण्य, जिला सीतापुर का प्रान्तीयकरण किये जाने के एवं तत्संबंधी अधिसूचना निर्गत करने हेतु मा0 मंत्रि परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है।

माँ पाटेश्वरी शक्तिपीठ, देवीपाटन तुलसीपुर मेला, बलरामपुर के प्रान्तीयकरण का निर्णय

- जिलाधिकारी, बलरामपुर द्वारा पत्र दिनांक 08.02.2018 के माध्यम से मॉ पाटेश्वरी शक्तिपीठ, देवीपाटन तुलसीपुर मेला, जिला बलरामपुर का प्रान्तीयकरण किये जाने हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।
- मॉ पाटेश्वरी शक्तिपीठ, देवीपाटन तुलसीपुर मेला, जिला बलरामपुर का आयोजन वर्तमान समय में जिला प्रशासन द्वारा किया जाता है।
- मेले के अन्तर्जनपदीय, अन्तर्राज्यीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप के दृष्टिगत इसकी समुचित व्यवस्था एवं सफल आयोजन हेतु इसके प्रान्तीयकृत किये जाने की मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषणा की गयी है।
- उक्त मेले का प्रान्तीयकरण हो जाने के बाद इसका प्रबंधन जिलाधिकारी बलरामपुर द्वारा किया जायेगा और आने वाला व्ययभार लगभग रू0–48.44 लाख शासन द्वारा वहन किया जायेगा।
- मॉ पाटेश्वरी शक्तिपीठ, देवीपाटन तुलसीपुर मेला, जिला बलरामपुर का प्रान्तीयकरण किये जाने के एवं तत्संबंधी अधिसूचना निर्गत करने हेतु मा0 मंत्रि परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है।

मॉ विन्ध्यवासिनी शक्तिपीठ मेला, मीरजापुर के प्रान्तीयकरण का निर्णय

- जिलाधिकारी, मीरजापुर द्वारा पत्र दिनांक 27.12.2017 एवं 03.02.2018 के माध्यम से मॉ विन्ध्यवासिनी शक्तिपीठ मेला, जिला मीरजापुर का प्रान्तीयकरण किये जाने हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।
- मॉ विन्ध्यवासिनी शक्तिपीठ मेला, जिला मीरजापुर का आयोजन वर्तमान समय में संस्था विन्ध्य विकास परिषद एवं 09 कार्यदायी विभागों द्वारा किया जाता है।
- मेले के अन्तर्जनपदीय, अन्तर्राज्यीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप के दृष्टिगत इसकी समुचित व्यवस्था एवं सफल आयोजन हेतु इसके प्रान्तीयकृत किये जाने की मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषणा की गयी है।
- उक्त मेले का प्रान्तीयकरण हो जाने के बाद इसका प्रबंधन जिलाधिकारी मीरजापुर द्वारा किया जायेगा और आने वाला व्ययभार लगभग रू0–41.49 करोड़ शासन द्वारा वहन किया जायेगा।
- मॉ विन्ध्यवासिनी शक्तिपीठ मेला, जिला मीरजापुर का प्रान्तीयकरण किये जाने के एवं तत्संबंधी अधिसूचना निर्गत करने हेतु मा0 मंत्रि परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है।

उ0प्र0 के शहरी स्थानीय निकायों में
दोहरी लेखा प्रणाली लागू करने का निर्णय

उत्तर प्रदेश में शहरी स्थानीय निकायों में दोहरी लेखा प्रणाली लागू करने हेतु उत्तर प्रदेश नगरपालिका लेखा नियमावली 1918 व उत्तर प्रदेश महापालिका लेखा नियमावली 1959 में संशोधन कर तथा उत्तर प्रदेश नगरपालिका लेखा संग्रह (Uttar Pradesh Municipal Account Manual) को लागू किये जाने का प्रस्ताव है।

प्रस्ताव से राज्य सरकार पर कोई अतिरिक्त व्यय भार पड़ने की संभावना नहीं है।

प्रस्तावित दोहरी लेखा प्रणाली निकायों में अधिकतम 24 माह के भीतर क्रियान्वित की जायेगी।

इस सुधार को निकायों में राज्य स्तरीय विशेषज्ञ सलाहकार एवं चार्टेड एकांउटेंट फर्मों के सहयोग व मार्गदर्शन से लागू किया जायेगा। साथ ही नगरीय निकाय निदेशालय द्वारा निकायों की कर्मियों का कौशल विकास कर उन्हें दोहरी लेखा प्रणाली को लागू करने हेतु सक्षम व स्वावलम्बी बनाया जायेगा।

प्रचलित लेखा प्रणाली की अपेक्षा प्रस्तावित दोहरी लेखा प्रणाली अधिक उपयोगी है, इसमें तुलनापत्र तैयार किये जाने के कारण नगर निकाय की सही एवं वास्तविक वित्तीय स्थिति का ज्ञान होता है और लेखाओं में बेहतर पारदर्शिता के साथ ही साथ अधिकारियों की जवाबदेही भी बढ़ती है।

लेखा प्रणाली में प्रस्तावित सुधार से निकायों की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होगी और उनकी जवाबदेही बढ़ेगी जिससे जनसामान्य को दी रही सेवाओं में गुणात्मक सुधार होगा।

निकायों में लेखा की प्रचलित प्रणाली लगभग 100 वर्ष पुरानी है। प्रस्तावित सुधार से लेखा के रखरखाव का आधुनिकीकरण होगा।

स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग का वर्ष 2016–17 का वार्षिक प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखे जाने का निर्णय

स्थानीय निधि लेखा परीक्षा अधिनियम, 1984 के तहत प्रदेश के स्थानीय निकायों एवं अनुदानित संस्थाओं की लेखा परीक्षा, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग के द्वारा की जाती है, जिसमें विभाग द्वारा सम्पादित उप सम्परीक्षा/सम्वर्ती सम्परीक्षा एवं विशेष सम्परीक्षा की महत्वपूर्ण आपत्तियॉ सम्मिलित हैं।

विभाग द्वारा "वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन" वर्ष 2016–17 तैयार किया गया है।

मा0 मंत्रि–परिषद के अनुमोदनोपरान्त वर्ष 2016–17 का वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखा जाना अपेक्षित है।

'द उत्तर रियल स्टेट (रेगुलेशन एण्ड डेवलपमेन्ट) (एग्रीमेन्ट फॉर सेल रूल्स) 2018' का प्रस्ताव अनुमोदित

भारत सरकार द्वारा निर्गत भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा–84 में यह व्यवस्था दी गयी है कि समुचित सरकार इस अधिनियम के लागू होने के छः माह के अन्दर अधिनियम को लागू करने हेतु नियमों/नियमावलियों का निर्माण करेगी। उक्त प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश भू–संपदा (विनियमन एवं विकास) नियमावली, 2016 दिनांक 27.10.2016 को अधिसूचित किया गया है परन्तु उक्त नियमावली निर्गत किये जाते समय "एग्रीमेन्ट फॉर सेल" से सम्बन्धित रूल्स तत्समय निर्गत नही किया गया था।

अतः भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 के तहत रियल स्टेट प्रोजेक्टो के पंजीकरण हेतु विकासकर्ता एवं आवंटियों के मध्य निष्पादित होने वाले विक्रय अनुबन्ध (एग्रीमेन्ट फॉर सेल) की शर्तो से सम्बन्धित नियमावली **"द उत्तर प्रदेश रियल स्टेट (रेगुलेशन एण्ड डेवलपमेन्ट) (एग्रीमेन्ट फॉर सेल रूल्स) 2018" पर मा0 मंत्रि परिषद द्वारा विचारोपरान्त अनुमोदन प्रदान किया गया।**

उ0प्र0 युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल/प्रादेशिक विकास दल अधिकारी सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2018 के प्रख्यापन का प्रस्ताव मंजूर

वर्ष 2014 एवं 2017 में पुर्नगठन के फलस्वरूप युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल विभाग में सृजित एवं उच्चीकृत उप निदेशक के पदों को विभागीय पदोन्नति के माध्यम से भरा जाना है। उप निदेशक के ये पद पदोन्नति के है, जिन्हें जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारियों में से संगत सेवा नियमों के अनुसार भरा जायेगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल/प्रादेशिक विकास दल अधिकारी सेवा नियमावली–2013 में निम्नवत् प्रस्तावित संशोधन को मा0 मंत्रिपरिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है :–

1– सेवा नियमावली 2013 के उपबन्धों के नियम–1, 4, 5, 17 एवं 24 में कतिपय संशोधन किया गया है। नियम–1 में ''नियुक्ति प्राधिकारी'', नियम–4 ''सेवा संवर्ग में पदों की संख्या'', नियम–5 ''भर्ती के स्त्रोत'', नियम–17 ''भर्ती की प्रक्रिया'' तथा नियम–24 ''वेतनमान'' से संबंधित है।

2– मुख्य संशोधन यह है कि पूर्व प्रचलित सेवा नियमावली के अनुसार जिला युवा कल्याण अधिकारी से सहायक निदेशक के पद पर पदोन्नति की जाती थी। तद्पश्चात सहायक निदेशक की पदोन्नति उप निदेशक के पद पर की जाती थी। वर्तमान संशोधन के अनुसार जिला युवा कल्याण अधिकारी अब 06 वर्ष की सेवा के उपरान्त सीधे विभागीय चयन समिति के माध्यम से उप निदेशक के पद पर पदोन्नत किये जा सकेंगे।

लखीमपुर–खीरी में अतिरिक्त कृषि विज्ञान केन्द्र की स्थापना हेतु भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान को पट्टे पर निःशुल्क भूमि उपलब्ध/हस्तान्तरित कराने के सम्बन्ध में

जनपद लखीमपुर–खीरी में अतिरिक्त कृषि विज्ञान केन्द्र की स्थापना हेतु ग्राम महेवा परगना श्रीनगर, तहसील–लखीमपुर, जनपद–खीरी में स्थित 12.049 हे0 जो राजस्व अभिलेखों में श्रेणी–2 खुदकाश्त मिल्क्यित सरकार के रूप में दर्ज है, को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की संस्था भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ को पट्टे पर निःशुल्क उपलब्ध/हस्तान्तरित करने तथा राजस्व विभाग के शासनादेश दिनांक 03.06.2016 की व्यवस्थानुसार वार्षिक किराये पर दिये जाने हेतु मा. मंत्रि–परिषद द्वारा अनुमति प्रदान कर दिया गया है।

गाजियाबाद में जनप्रतिनिधियों के प्रशिक्षण केन्द्र के निर्माण में उच्च विशिष्टियों के कार्य अनुमोदित

मा0 जनप्रतिनिधियों को लोकतांत्रिक संस्थाओं/संगठनों की विभिन्न विधियों/परिपाटियों, नियमों और कानून की जानकारी प्रदान करने तथा लोकतांत्रिक संस्थाओं/संगठनों की विभिन्न विधाओं और पहलुओं से भलीभॉति अवगत कराने के लिये प्रशिक्षण केन्द्र की आवश्यकता है। दिल्ली के समीप होने के कारण प्रशिक्षण के लिये अच्छे प्रवक्ताओं के साथ–साथ विजिटिंग प्रोफेसर उपलब्ध होने में सुगमता होगी। उक्त प्रशिक्षण केन्द्र में ऐसे नौजवान/इच्छुक व्यक्तियों के लिये डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम चलाये जा सकते है, जो राजनीति में आना चाहते है। वर्तमान में इस प्रकार के पाठ्यक्रम का विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और संस्थाओं में अभाव है। उक्त प्रशिक्षण केन्द्र (फेज–1) की स्थापना हेतु नगर निगम, गाजियाबाद द्वारा लगभग 51213 वर्गमीटर भूमि राजनगर विस्तार मार्ग सिहानी में चिन्हित कर उपलब्ध करायी गयी है। मा0 जनप्रतिनिधियों के प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण केन्द्र (फेज–1) की प्राक्कलित लागत रू0 16867.74 लाख नियमानुसार देय जी0एस0टी0 सहित व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित की गयी है। उक्त प्रशिक्षण संस्थान (फेज–1) 02 वर्ष में पूर्ण हो जाने की सम्भावना है। उक्त प्रशिक्षण केन्द्र के निर्माण हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 में नगर विकास विभाग के बजट में रू0 50.00 करोड़ की धनराशि का प्राविधान किया गया है। परियोजना की उच्च विशिष्टियों में स्ट्रक्चरल ग्लेजिंग, वुडेन फ्लोरिंग, वाल पैनेलिंग, कारपेट फ्लोरिंग, विनायल फ्लोरिंग, फाल्स सीलिंग, सैण्ड स्टोन क्लेडिंग, पोलीकार्बोनेट शीट, साइनेज तथा ग्रीन रेटिंग फार इन्टीग्रेटेड हैबेटेट एसेसमेन्ट आदि सम्मिलित है।

उ0प्र0 माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में संशोधन हेतु
उ0प्र0 माल एवं सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2018 का आलेख अनुमोदित

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की कतिपय धाराओं में संशोधन किये जाने हेतु उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2018 का अनुमोदन तथा विधान मण्डल में अध्यादेश के पुरःस्थापित किये जाने व इसके पारण कराये जाने का मा0 मंत्रि–परिषद द्वारा निर्णय लिया गया है।

शीरा सत्र 2018–19 के लिये शीरा नीति निर्धारित

शीरा वर्ष 2018–19 में शीरे का उत्पादन 555 लाख कुण्टल अनुमानित है, जो चलित वर्ष के उत्पादन से 2.5 प्रतिशत अधिक है। भारत सरकार द्वारा पेट्रोल में एथनॉल मिश्रित किए जाने हेतु बी–हैवी शीरे से एथनॉल निर्माण हेतु प्रोत्साहन दिया जा रहा है, जिसके कारण इस बात की प्रबल सम्भावना है कि आसवनियां अधिक से अधिक बी–हैवी शीरे से एथनॉल निर्माण हेतु तत्पर होंगी तथा शीरा आधारित स्प्रिट से विदेशी मदिरा निर्माण हेतु स्प्रिट/ई0एन0ए0 में कमी हो सकती है। अतः शीरा नीति वर्ष 2018–19 में देशी मदिरा हेतु 10 प्रतिशत एवं विदेशी मदिरा हेतु 2.5 प्रतिशत शीरे के आरक्षण अर्थात् कुल 12.5 प्रतिशत शीरा आरक्षित किया गया है। इस प्रकार आरक्षित एवं अनारक्षित शीरे के मध्य वार्षिक निकासी अनुपात 1:7 रखा गया है, जबकि वर्ष 2017–18 में आरक्षण 12 प्रतिशत एवं निकासी अनुपात 1:7.3 था।

2– शीरा वर्ष 2018–19 में चीनी मिलों द्वारा उत्पादित किये जाने वाले बी–हैवी शीरे पर आरक्षण लागू नहीं होगा। सी–हैवी शीरे की कमी होने पर उसकी पूर्ति आबकारी आयुक्त द्वारा बी–हैवी शीरे से की जाएगी।

3– वर्ष 2017–18 का अवशेष आरक्षित शीरा अग्रेनीत किया गया है। पेराई सत्र के दौरान इसका अतिशीघ्र निस्तारण न होने पर इसकी गुणवत्ता में ह्रास आता है एवं पर्यावरणीय प्रदूषण भी होता है। अतः प्रदेश स्थित चीनी मिलों में वर्ष 2017–18 की उपलब्ध आरक्षित शीरे की मात्रा को फ्रीसेल/स्वयं के उपभोग हेतु इस शर्त के साथ परिवर्तित किया जा सकता है कि चीनी मिलें उक्त मात्रा की भरपाई शीरा वर्ष 2018–19 के अनारक्षित अंश से करेंगी तथा यह मात्रा शीरा वर्ष 2018–19 हेतु देय आरक्षित मात्रा के अतिरिक्त होगी।

4– शीरा वर्ष 2018–19 में शीरे की पर्याप्त उपलब्धता एवं चीनी मिलों में सीमित भण्डारण क्षमता के कारण शीरा संचय की समस्या के दृष्टिगत चीनी मिलों में आरक्षित एवं अनारक्षित शीरे के मध्य निर्धारित निकासी के अनुपात को समाप्त करते हुए आरक्षित शीरे की मात्रा को रोक कर अनारक्षित शीरे की निकासी की व्यवस्था को पूर्ववत् रखा गया है। यदि इस व्यवस्था के कारण चीनी मिलों द्वारा भविष्य में देशी मदिरा हेतु आरक्षित शीरे की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं की जाती है तो यह व्यवस्था तत्काल समाप्त कर पुनः आरक्षित एवं अनारक्षित शीरे के मध्य 1:7 के निकासी अनुपात की व्यवस्था लागू की जा सकती है।

5– अन्य दूरस्थ राष्ट्रों को शीरा निर्यात सुगम बनाने के उद्देश्य से शीरा निर्यात किये जाने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाएगी कि निर्यातक रजिस्टर्ड एवं शीरा एक्सपोर्ट लाइसेंसधारक हो तथा विदेशी आयातक का अनुरोध उस देश के डिप्लोमेटिक चैनल के माध्यम से आया हो। इस हेतु निर्यातक ऐसे इण्डयूजर्स (End users) के नाम की सूची वचनबद्धता के साथ अधिकतम तीन माह में आबकारी विभाग को उपलब्ध करा देंगे। तद्नुसार शीरा नियंत्रण अधिनियम 1964 की धारा–8 में यथावश्यक संशोधन अध्यादेश के माध्यम से किया जाएगा।

6– शीरा संचित करते समय सभी चीनी मिलों द्वारा Water (Prevention and Control of Pollution) Act 1974 में निहित प्रदूषण नियंत्रण सम्बन्धी प्राविधानों/उपबन्धों का अनुपालन किए जाने का प्राविधान किया गया है।

उ0प्र0 पर्यटन नीति–2018 में संशोधन का निर्णय

- प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने एवं इस उद्योग के बहुमुखी विकास हेतु प्रख्यापित उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति–2018 उत्तर प्रदेश, पर्यटन विभाग द्वारा अधिसूचित पर्यटन स्थलों में तत्समय पर्यटन की दृष्टि से कतिपय महत्वपूर्ण सर्किट्स/स्थलों का समावेश न हो पाने के कारण यहां पर पूंजी निवेश करने वाली इकाईयों को वित्तीय इंसेंटिव्स एवं बेनीफिट्स प्रदान किया जाने तथा प्रदेश में पर्यटन उद्योग को निवेश की दृष्टि से प्रभावी बनाये जाने एवं बढ़ावा दिये जाने के उद्देश्य से प्रख्यापित उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति–2018 के अध्याय–10 'फिस्कल इंसेंटिव एण्ड बेनीफिटस' में उत्तर प्रदेश, पर्यटन विभाग द्वारा अधिसूचित पर्यटन स्थलों के 20 किमी0 की परिधि में अंकित पर्यटन स्थलों के अतिरिक्त पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण निम्नवत् स्थलों/सर्किट्स को सम्मिलित किये जाने का प्रस्ताव मा0 मंत्रिपरिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है:–

  1–रामायण सर्किट–विजेथुआ महावीरन (सुलतानपुर), बिठूर (कानपुर) **2**–कृष्णा/ब्रज सर्किट– बलदेव मंदिर (मथुरा), महावन (मथुरा) **3**–बुद्धिस्ट सर्किट– अतरंजी खेडा (एटा), देवदह (महाराजगंज) **4**–वाइल्ड लाइफ एवं इको टूरिज्म सर्किट– सेखा झील अलीगढ, सूर सरोवर पक्षी विहार आगरा, आमानगढ टाइगर रिजर्व बिजनौर, ब्लैक बक कंजर्वेशन रिजर्व, मेजा इलाहाबाद, लायन सफारी पार्क इटावा **5**–महाभारत सर्किट–लाक्षागृह, हण्डिया (इलाहाबाद), कीचकबध स्थल राठ (हमीरपुर), विदुर कुटी (बिजनौर) **6**–शक्तिपीठ सर्किट–शीतला चौकिया धाम (जौनपुर), सीता समाहित स्थल (भदोही), अलोपी देवी, ललिता देवी, प्रतापगढ (इलाहाबाद), विशालाक्षी देवी, (वाराणसी), बेल्हादेवी (हमीरपुर), गायत्री शक्तिपीठ (सुमेरपुर), बैरागढ माता, कौंच (जालौन), चंडिका देवी, बक्सर (उन्नाव), कुष्माण्डा देवी घाटमपुर (कानपुर देहात), देवकली मंदिर, (औरैया), माँ तरकुलहा देवी धाम (गोरखपुर), माँ शीतला माता स्थल (मऊ) 7–आध्यात्मिक सर्किट–मौनी बाबा चोचकपुर, पवहारी बाबा आश्रम (गाजीपुर), कीनाराम आश्रम (चंदौली), त्रिवेणी संगम, भारद्वाज आश्रम, (इलाहाबाद), घुइसरनाथ धाम (प्रतापगढ), भृगु ऋषि आश्रम (फतेहपुर), व्यासपीठ कालपी (जालौन), गोला गोकर्णनाथ (लखीमपुर खीरी), माँ परमेश्वरी देवी (आजमगढ), भृगु आश्रम बालेश्वर (बलिया), दुग्धेश्वर शिव स्थल (देवरिया), मखौडा धाम (बस्ती), शिव मंदिर श्रृंखला, बटेश्वर (आगरा), सोरों आश्रम (कासगंज), शीतला माता मंदिर (मैनपुरी), हनुमत धाम (शाहजहाँपुर), हनुमान मंदिर (शामली) **8**–सूफी/कबीर सर्किट–दरगाह मारहरा शरीफ (एटा), दरगाह सूफी शाह शरीफ,दरगाह शफी शाह शरीफ (फिरोजाबाद), लहरतारा आश्रम,(कबीर जन्म स्थल) (वाराणसी), खानकाह–ए–नियाजिया (बरेली), किछौछा शरीफ (अम्बेडकर नगर) **9**–जैन सर्किट–पार्श्वनाथ, श्रेयांसनाथ, सुपार्श्वनाथ, चन्द्रप्रभु (वाराणसी), चन्द्रवार जैन मंदिर, बाहुबली जैन मंदिर (फिरोजाबाद), मंगलायतन जैन मंदिर, (हाथरस), अहिछत्र पार्श्वनाथ दिगम्बर जैन मंदिर (रामनगर) **10**–क्राफ्ट सर्किट–मार्बल इनले एवं जरदौजी (आगरा), ग्लास क्राफ्ट (फिरोजाबाद), ग्लासबीडस क्राफ्ट, पुर्दिल नगर (हाथरस), तारकशी क्राफ्ट (मैनपुरी), पीतल क्राफ्ट (मुरादाबाद), पीतल क्राफ्ट एंव ताला (अलीगढ), वुडेन क्राफ्ट (सहारनपुर), मूढा क्राफ्ट, (हापुड), हाथकरघा, पिलखुवा (हापुड), बनारसी साडी, गुलाबी मीनाकारी, लकडी के खिलौने, स्टोन कारविंग (वाराणसी), जरी–वर्क, (जौनपुर), पीतल के बर्तन (मिर्जापुर), पॉटरी उद्योग (चुनार), पीतल क्राफ्ट, जखौरा (ललितपुर), पीतल क्राफ्ट, अमरा (झाँसी), सिलवरफिश क्राफ्ट, मौदहा (हमीरपुर), शजर पत्थर क्राफ्ट (बांदा), पेपर क्राफ्ट, कालपी (जालौन), ग्लैज़्ड पोटरी (रामपुर), कालीन क्राफ्ट (अमरोहा), खुरज़ा पोटरी (बुलन्दशहर), कालीन क्राफ्ट (सम्भल), टेरा–कोटा, (गोरखपुर) **11**–स्वतंत्रता संग्राम सर्किट– मेरठ, शाहजहाँपुर , काकोरी।

कुम्भ मेला–2019 योजनान्तर्गत मेला क्षेत्र के सन्निकट चार स्थानों में श्रद्धालुओं/साधू सन्तों के ठहरने हेतु आवश्यक मूलभूत जन सुविधाओं के निर्माण की स्वीकृति

कुम्भ मेलाधिकारी, इलाहाबाद के माध्यम से कुम्भ मेला–2019 योजनान्तर्गत मेला क्षेत्र के सन्निकट चार स्थानों, अटल अखाड़ा, अरैल स्थित सच्चा बाबा आश्रम, आलोपी बाग स्थित ब्रम्ह निवास श्री शंकराचार्य आश्रम तथा अलोपी बाग मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं/साधू सन्तों के ठहरने हेतु आवश्यक मूलभूत जन सुविधाओं के निर्माण कार्य हेतु प्राप्त रू0 575.65 लाख का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। उक्त प्रस्ताव पर परीक्षणोपरान्त रू 550.95 लाख की धनराशि धर्मार्थ कार्य विभाग के आय व्ययक में प्रविधान न होने के कारण नगर विकास विभाग में कुम्भ मेंला योजनान्तर्गत उपलब्ध बजट से स्वीकृत किये जाने का प्रस्ताव है। प्रश्नगत योजना हेतु कान्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज उ0प्र0 जलनिगम को कार्यदायी संस्था नामित किये जाने का प्रस्ताव है।

प्रश्नगत प्रायोजना हेतु भूमि अखाड़ों/आश्रमों (गैर सरकारी भूमि)की है, परन्तु निर्मित जनसुविधाओं का उपयोग अखाड़ों/आश्रमों के साधू सन्तों के साथ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं/जन मानस के लिये किया जाना है। अतः जनहित में निर्माण कार्य की स्वीकृति प्रदान की जा रही है। उक्त के अतिरिक्त अटल अखाड़ा, सच्चा आश्रम अरैल एवं अलोपी बाग स्थित ब्रम्हमनिवास में पाइल फाउन्डेशन/फ्रेम्ड स्ट्रक्चर पर निर्मित किया जाना है, जो उच्च विशिष्टियां है।

कुम्भ मेला–2019 हेतु इलाहाबाद में पान्टून सेतुओं, चेकर्ड प्लेट मार्गों एवं पाइल पुलियों आदि के निर्माण के सम्बन्ध में

जनपद इलाहाबाद में आगामी कुम्भ मेला–2019 के आयोजन हेतु सामग्री की व्यवस्था एवं 1001 अदद् मय पान्टूनों का फैब्रीकेशन, 10300 आर0एस0 ज्वाइन्टस् का क्रय, साल स्लीपर, साल एजिंग, चेकर्ड प्लेट, नट बोल्ट, एम0एस0 प्लेट इत्यादि का क्रय एवं पाण्टून पुल, चेकर्ड प्लेट, पाइल पुलिया, कांसा पुला मार्ग इत्यादि का निर्माण कार्य हेतु परियोजना की मूल स्वीकृति शासनादेश सं0–यू0ओ0–32/9–1–2018–23मेला/2017, दिनॉक 26.03.2018 द्वारा रू0 21612.57 लाख के सापेक्ष रू0 10806.26 लाख की स्वीकृति नगर विकास अनुभाग–1 द्वारा प्रदान की गयी हैं।

परियोजना के पुनरीक्षण प्रस्ताव में जनपद इलाहाबाद में आगामी कुम्भ मेला–2019 के आयोजन हेतु अस्थायी कार्यों हेतु पान्टून सेतुओं, चेकर्ड प्लेट मार्गों एवं पाइल पुलियों आदि के निर्माण अनुरक्षण एवं डिस्मेंटलिंग कार्यों हेतु व्यय वित्त समिति द्वारा रू0 26471.92 लाख +जी0एस0टी0 (नियमानुसार देय) अनुमोदित किया गया है। परियोजना की मूल स्वीकृत लागत रू0 21612.57 लाख के सापेक्ष पुनरीक्षित लागत रू0 26471.97 लाख होने के दृष्टिगत कुल रू0 4859.34 लाख की वृद्धि हो रही है।

प्रायोजना की लागत रू0 200 करोड़ से अधिक होने के दृष्टिगत प्रश्नगत प्रायोजना की पुनरीक्षित लागत रू0 26471.92 लाख पर मा0 मंत्रिपरिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

केन्द्र पोषित योजनाओं में विभिन्न फसलों के प्रमाणित बीजों पर अनुदान में वृद्धि के फलस्वरूप रबी 2018–19 में राज्य सरकार द्वारा देय विशेष अनुदान की नयी व्यवस्था का प्रस्ताव मंजूर

- उत्पादन/उत्पादकता की बढ़ोत्तरी में उच्च गुणवत्तायुक्त प्रमाणित बीजों का महत्वपूर्ण योगदान है। गुणवत्तायुक्त बीज के प्रयोग मात्र से ही लगभग 15 से 20% उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि की जा सकती है।

- बीज ग्राम योजनान्तर्गत "बीज उत्पादन कार्यमद" में केन्द्र सरकार द्वारा धान्य फसलों में 50 प्रतिशत एवं दलहनी/तिलहनी फसलों में 60 प्रतिशत तक का अनुदान बीज वितरण पर देय है। रबी 2018–19 में बीज उत्पादन कार्यक्रम अन्तर्गत कृषकों को प्रोत्साहित करने हेतु धान्य फसलों पर 25 प्रतिशत एवं दलहनी/तिलहनी फसलों मे 15 प्रतिशत का अतिरिक्त अनुदान राज्य सरकार स्तर से दिया जाना प्रस्तावित है।

- रबी 2018–19 में प्रमाणित बीजों के वितरण पर अनुदान की योजना अन्तर्गत समस्त फसलों के सामान्य बीज वितरण पर केन्द्र सरकार द्वारा 50 प्रतिशत के अनुदान के साथ 10 प्रतिशत का अतिरिक्त अनुदान (अर्थात् कुल 60 प्रतिशत तक का अनुदान) राज्य सरकार स्तर से दिया जाना प्रस्तावित है।

- केन्द्र पोषित योजनाओं के अन्तर्गत रबी 2018–19 में निर्धारित लक्ष्यों से अधिक वितरित बीजों तथा केन्द्रीय योजनाओं से अनाच्छादित जनपदों में वितरित प्रमाणित बीजों पर भी 60 प्रतिशत की सीमा तक राज्य सरकार द्वारा अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है।

- एक कृषक को अधिकतम 2.00 हे0 क्षेत्र हेतु प्रमाणित/संकर बीज पर विशेष अनुदान देय होगा तथा उक्त सुविधा का लाभ कृषकों को "प्रथम आवक–प्रथम पावक" के आधार पर उपलब्ध कराया जायेगा। कृषकों को देय विशेष अनुदान उनके बैंक खाते में डायरेक्ट बेनीफिट ट्रान्सफर (डी0बी0टी0) के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा।

'अटल नवीकरण और शहरी रूपान्तरण मिशन' के अन्तर्गत नगर निगम, झांसी महानगर पुनर्गठन पेयजल योजना (फेज–2) के प्रस्ताव को मंजूरी

अमृत योजना के अन्तर्गत **नगर निगम्, झांसी महानगर पुनर्गठन पेयजल योजना (फेज–2)** की व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित लागत रू0 60042.87 लाख के व्यय के प्रस्ताव पर मा0 मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन निवेदित है।

अमृत योजना के अन्तर्गत **नगर निगम्, झांसी महानगर पुनर्गठन पेयजल योजना (फेज–2)** को व्यय–वित्त समिति की बैठक दिनांक 01.08.2018 द्वारा रूपये 60042.87 लाख की लागत पर अनुमोदित किया गया है, जिसमें रूपये 6545.20 लाख सेंटेज एवं रूपये 523.62 लाख लेबर सेस सम्मिलित है। उक्त निर्धारित लागत में से भारत सरकार द्वारा रूपये 26748.84, राज्य सरकार द्वारा रूपये 22594.50 तथा निकाय अंश रूपये 10699.53 लाख सम्मिलित है। यह भी उल्लेख किया जाना है कि सेंटेज की समस्त धनराशि का वहन राज्य सरकार द्वारा ही किया जाना है।

नगर निगम, झांसी के निवासियों को पेयजल की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।

प्रश्गनत परियोजना का उद्देश्य पर्यावरणीय स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं स्वच्छता आदि के कारकों को ध्यान में रखते हुए स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु रोबस्ट जलापूर्ति परियोजना स्थापित करना है।

प्रस्ताव से अतिरिक्त रोजगार सृजन की संभावना नहीं है।

नगर निगम लखनऊ में प्लास्टिक वेस्ट से फ्यूल बनाये जाने हेतु पी0पी0पी0 मोड पर प्लांट की स्थापना हेतु आर0एफ0पी0 डॉक्यूमेंट एवं ड्राफ्ट कन्सेशन अनुबन्ध अनुमोदित

नगर निगम लखनऊ में प्लास्टिक वेस्ट से फ्यूल बनाये जाने हेतु पी0पी0पी0 मोड पर आधारित प्लांट की स्थापना के संबंध में आर0एफ0पी0 डॉक्यूमेंट एवं ड्राफ्ट कन्सेशन अनुबन्ध पर अनुमोदन का प्रस्ताव है।

राज्य सरकार पर कोई अतिरिक्त वित्तीय व्यय–भार आने की सम्भावना नहीं है।

प्रस्तावित निर्णय से प्लास्टिक अपशिष्ट से फ्यूल का निर्माण होगा एवं प्रदूषण नियंत्रण में सहायता मिलेगी।

प्लास्टिक अपशिष्ट का निस्तारण होने से प्रदूषण नियंत्रित होगा, जिसका लाभ जन–सामान्य को प्राप्त होगा।

प्लास्टिक वेस्ट से फ्यूल का निर्माण होगा।

प्रस्ताव से निजी क्षेत्र में रोजगार सृजन की संभावना है।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 150वीं जयन्ती के अवसर पर खादी वस्त्रों की फुटकर बिक्री पर 05 प्रतिशत की विशेष छूट दिए जाने का निर्णय

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में खादी की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस कार्य में परमपरागत रूप से लगे धुनकर, कत्तिन, बुनकर, रंगरेज, दर्जी आदि कमजोर वर्ग के व्यक्तियों, जिनके पास आय के अन्य साधन उपलब्ध नहीं है, को रोजगार मिलता है। प्रदेश में खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड/आयोग से वित्त पोषित मान्यता प्राप्त खादी संस्थायें उत्पादन व बिक्री के कार्य में लगी हुई है। खादी उत्पादन के विकास एवं बिक्री को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 150वीं जयन्ती के अवसर पर खादी वस्त्रों की फुटकर बिक्री पर शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 60 कार्यदिवसों हेतु 05 प्रतिशत की विशेष छूट दी जानी है।

प्रदेश में खादी उत्पादन को बढावा देने के उद्देश्य से विगत वर्षो से संचालित बिक्री पर छूट आधारित योजना के स्थान पर उत्पादन पर छूट आधारित पं0 दीन दयाल उपाध्याय खादी विपणन विकास सहायता दिनॉक 01 अक्टूबर, 2017 से प्रारम्भ की गयी है, जिसके अन्तर्गत खादी संस्थाओं को उत्पादन लागत पर 15 प्रतिशत सहायता अनुमन्य है

खादी संस्थाओं द्वारा स्वयं के स्रोत से 20 प्रतिशत छूट ग्राहकों को दिये जाने पर और 05 प्रतिशत की विशेष छूट फुटकर बिक्री पर दिये जाने से समेकित रूप से 25 प्रतिशत तक की छूट आम जनता को प्राप्त होगी।

———————————